प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4701/2008

याचिकाकर्ता — दिनेश कुमार गर्ग

विरुद्ध

उत्तरवादिगण — छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4702/2008

याचिकाकर्ता — सुनील दास मानिकपुरी

विरुद्ध

उत्तरवादिगण — छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4703/2008

याचिकाकर्ता — उमेश कुमार नेताम

विरुद्ध

उत्तरवादिगण — छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4704/2008

याचिकाकर्ता — केशव राम बघेल

विरुद्ध

उत्तरवादिगण — छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4707/2008

याचिकाकर्ता — कमलेश्वर प्रसाद नाग

विरुद्ध

उत्तरवादिगण — छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4708/2008

याचिकाकर्ता — नरेंद्र कुमार कुर्राम

विरुद्ध

उत्तरवादिगण — छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय एवं आदेश हेतु 8 जुलाई, 2009 को सूचीबद्ध करें।

हस्ता./-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4701/2008

याचिकाकर्ता — दिनेश कुमार गर्ग, पिता स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद गर्ग, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम एवं डाकघर बिश्रामपुर, केशकाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादिगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जगदलपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला बस्तर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला जगदलपुर (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपथ पंचायत, बड़ेराजपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4702/2008

याचिकाकर्ता — सुनील दास मानिकपुरी, पिता स्वर्गीय श्री घाना दास मानिकपुरी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम पारोंद, पोस्ट लिहागांव, तहसील केशकाल, बड़ेराजपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादिगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जगदलपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला बस्तर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला जगदलपुर (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपथ पंचायत, बड़ेराजपुर, जिला

बस्तर (छ.ग.)

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4704/2008</u>

याचिकाकर्ता — उमेश कुमार नेताम, पिता स्वर्गीय श्री सुखधर नेताम, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम आमाडीह, पोस्ट विश्रामपुर, तहसील केशकाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादिगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जगदलपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला बस्तर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला जगदलपुर (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपथ पंचायत, विश्रामपुरी, बड़ेराजपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4704/2008</u>

याचिकाकर्ता — केशव राम बघेल, पिता स्वर्गीय श्री मुकुंद राम बघेल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम लिहागांव, तहसील विश्रामपुर, जिला, बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादिगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जगदलपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला बस्तर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला जगदलपुर (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपथ पंचायत, बड़ेराजपुर,

विश्रामपुरी जिला बस्तर (छ.ग.)

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4707/2008</u>

याचिकाकर्ता — कमलेश्वर प्रसाद नाग, पिता स्व॰ श्री हीरा सिंह नाग, उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम विश्रामपुर, तहसील केशकाल, जिला, बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादिगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जगदलपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला बस्तर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला जगदलपुर (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपथ पंचायत, बड़ेराजपुर, विश्रामपुरी जिला बस्तर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4708/2008</u>

याचिकाकर्ता — नरेंद्र कुमार कुर्राम, पिता स्वर्गीय श्री बिंदे सिंह कुर्राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट मैनपुर, तहसील चारामा, जिला कांकेर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादिगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जगदलपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, जिला बस्तर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला जगदलपुर (छ.ग.)
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपथ पंचायत, बड़ेराजपुर,

विश्रामपुरी जिला बस्तर (छ.ग.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

(एकल पीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायमूर्ति)

श्री पराग कोटेचा और श्री आनंद शुक्ला, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप महाधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 की और से।

श्री पंकज श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से अधिवक्ता।

निर्णय एवं आदेश

(8 जुलाई, 2009 को पारित)

1. याचिकाकर्ताओं, जिन्हें शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, ने इन रिट याचिकाओं को दायर किया है, जिसमें उत्तरदाताओं/ प्राधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार, शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख से नियमित वर्ग-III के पदों पर नियुक्त करें और उन्हें सभी परिणामी लाभ प्रदान करें। याचिकाकर्ता आगे उत्तरदाताओं को दिनांक 10.6.2003 और 4.11.2006 के परिपत्र (अनुलग्नक पी/1) के पैरा 3 से 'शिक्षा कर्मी' शब्द को हटाने का निर्देश देने की मांग करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4701/2008 में, याचिकाकर्ता के पिता (दिनेश कुमार गर्ग) आदिवासी कल्याण विभाग के अधीन हाई स्कूल सलना, जिला जगदलपुर में पी.टी.आई. के रूप में कार्यरत थे, जिनकी 8.6.2003 को सेवाकाल में मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने 5.6.2004 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया। दिनांक 31.10.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) द्वारा याचिकाकर्ता को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिश्रामपुरी में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था।

3. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4702/2008 में, याचिकाकर्ता के पिता (सुनील दास मानिकपुरी) आदिवासी कल्याण विभाग के अधीन प्राथमिक विद्यालय खजरावंद, जिला बस्तर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिनकी 28.4.2001 को सेवाकाल में मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया। दिनांक 31.10.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा याचिकाकर्ता

को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भस्कोट, बड़ेराजपुर, जिला बस्तर में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था।

4. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4703/2008 में, याचिकाकर्ता के पिता (उमेश कुमार नेताम) आदिवासी कल्याण विभाग के अधीन सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया। दिनांक 21.6.2006 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा, याचिकाकर्ता को प्राथमिक विद्यालय, बुद्रा, जिला बस्तर में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था।

5. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4704/2008 में, याचिकाकर्ता के पिता (केशव राम बघेल) आदिवासी कल्याण विभाग के अधीन सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया। दिनांक 21.10.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा, याचिकाकर्ता को प्राथमिक विद्यालय, सलना में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4707/2008 में, याचिकाकर्ता के पिता (कमलेश्वर प्रसाद नाग) आदिवासी कल्याण विभाग के अधीन प्राथमिक विद्यालय विश्रामपुरी, जिला बस्तर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिनकी 2.11.2001 को सेवाकाल में मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया। दिनांक 21.10.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा याचिकाकर्ता को प्राथमिक विद्यालय, खल्लारी में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था।

7. रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4708/2008 में, याचिकाकर्ता के पिता (नरेंद्र कुमार कुर्रम) आदिवासी कल्याण विभाग के अधीन हाई स्कूल, चिचड़ी, जिला जगदलपुर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिनकी 20.6.1984 को सेवाकाल में मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया।

दिनांक 22.8.1998 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) द्वारा, याचिकाकर्ता को प्राथमिक विद्यालय, नोकाबेडा (टाटीपारा) में शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था और 19.6.2006 को याचिकाकर्ता को मिडिल स्कूल उमरपारा में शिक्षा कर्मी ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया गया।

8. पूर्वोक्त छह रिट याचिकाओं में तथ्य और विधि के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उनका इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा विचार किया जाकर निपटारा किया जा रहा है।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री पराग कोटेचा एवं श्री आनंद शुक्ला यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता नियमित वर्ग-III पद अर्थात सहायक शिक्षक या सहायक ग्रेड-III पर नियुक्त होने के लिए अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित प्राधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिए, जिन्हें अनसुना कर दिया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दिनांक 20.10.2005 के आदेश (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4701/2008 में अनुलग्नक पी/7) द्वारा नियमित वर्ग III के पदों पर नियुक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विद्वान अधिवक्ता आगे यह निवेदन करते हैं कि दिनांक 10.6.2003 एवं 4.11.2006 के परिपत्र में वर्ग-III एवं वर्ग-IV श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा निम्नतम नियमित रिक्त पद अर्थात सहायक ग्रेड-III, शिक्षा कर्मी, वार्ड बॉय, वन रक्षक आदि तथा चतुर्थ श्रेणी के भृत्य या अन्य समकक्ष पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है। उपरोक्त परिपत्रों में 'शिक्षा कर्मी' के पद को शामिल किया जाना धारणीय नहीं है, क्योंकि शिक्षा कर्मी की भर्ती और सेवा की शर्तें, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 या छत्तीसगढ़ नगर पालिका शिक्षा कर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1998 द्वारा शासित होती हैं। एक शिक्षा कर्मी शासकीय सेवक नहीं होता है। शिक्षा कर्मी की नियुक्ति स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। अतः, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति नियमित वर्ग-III के पदों पर की जानी चाहिए थी।

11. इसके विपरीत, विद्वान उप महाधिवक्ता, श्री यशवंत सिंह ठाकुर यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को अनुकंपा के आधार पर शिक्षा कर्मी के पद पर नियुक्त करने का आदेश छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के नियम 6 के अनुसार था, जो केवल शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान करता है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिनांक 9.12.1998 के परिपत्र (रिट याचिका क्रमांक 3412/2004 राजेश कुमार तिवारी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में अनुलग्नक आर/2) द्वारा, सभी कलेक्टरों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद के सिवाय किसी अन्य पद पर नहीं की जा सकती है। वे आगे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2005 में नियुक्त किया गया था और उन्होंने लगभग तीन वर्षों के विलंब से वर्ष 2008 में ये रिट याचिकाएं दायर की हैं। ऐसी कालातीत प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिवचनों एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति किसी उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से या रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुसार नहीं हुई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक उचित नियुक्ति नहीं है, बल्कि यह पिछले दरवाजे से किया गया प्रवेश है। अनुकंपा नियुक्ति पर विधि सुस्थापित है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना चयन प्रक्रिया के किसी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान करने वाला कोई भी परिपत्र या निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघनकारी है।

13. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि उपरोक्त परिपत्रों में 'शिक्षा कर्मी' के पद को शामिल करना धारणीय नहीं है, निराधार है, क्योंकि परिपत्र अपनी शक्ति छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के नियम 6 से प्राप्त करता है, जहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा जारी किसी भी नियम या निर्देश के तहत नियुक्त किया जा सकता है। अतः, विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि राज्य की नीति विधि के प्राधिकार के बिना है, में कोई सार नहीं है।

14. अनुकंपा नियुक्ति पर विधि का सिद्धांत सुस्थापित है। अनुकंपा नियुक्ति केवल उस स्थिति में प्रदान की जाती है, यदि किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है और परिवार के भरण-पोषण करने वाले की आकस्मिक मृत्यु के कारण आश्रित परिवार विपन्न हो गया है। अनुकंपा नियुक्ति स्वयं में एक पिछले दरवाजे से किया गया प्रवेश है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए रोजगार के सामान्य नियम से एक विचलन है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुसार नहीं है, बल्कि उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। (देखें **स्टेट ऑफ जे एंड के एवं अन्य विरुद्ध सज्जाद अहमद मीर**[1])।

15. यह भी सुस्थापित है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, भर्ती की एक विधि नहीं है, बल्कि, संकटग्रस्त परिवार के तत्काल पुनर्वास के लिए एक सुविधा है ताकि मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को निराश्रितता से उबारा जा सके। दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य विपन्न परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने में सक्षम बनाना है न कि रोजगार प्रदान करना है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता अभी भी शिक्षा कर्मी ग्रेड-III और ग्रेड-II के पद पर कार्यरत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जहाँ तक अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को नियमित वर्ग-III पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का प्रश्न है, यह राज्य और उसके प्राधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे व्यक्ति विशेष के तथ्यों और परिस्थितियों तथा रिक्त पदों की उपलब्धता को देखते हुए, नियुक्ति चाहने वाले को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें।

17. इस न्यायालय ने रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 44/2009 (अजीत कुमार नायर वि॰ छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) के मामले में, जिसमें याचिकाकर्ता को उसकी माता की सेवाकाल में मृत्यु होने पर शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी, और याचिकाकर्ता द्वारा सहायक ग्रेड-III के पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"7) विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, जिसमें याचिकाकर्ता की माता की मृत्यु के पश्चात, याचिकाकर्ता को शिक्षा कर्मी ग्रेड-III के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी और उसका यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे किसी विशिष्ट पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। अतः, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है। याचिका सारहीन एवं तथ्यहीन है।"

18. जैसा कि अवलोकित किया गया है, अनुकंपा नियुक्ति एक पिछले दरवाजे से किया गया प्रवेश है, जो उचित चयन के माध्यम से नहीं है और न ही नियुक्ति की संवैधानिक योजना के अनुसार है। समान रूप से स्थित पात्र उम्मीदवारों को शिक्षा कर्मी के पद पर नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अनेक निर्णयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नियुक्ति, जो नियुक्ति की संवैधानिक योजना से बाहर है, विधिक नहीं है और कर्मचारी के पक्ष में सेवा में बहाली, निरंतरता या नियमितीकरण का दावा करने का कोई अधिकार प्रोद्भूत नहीं होता है। अतः, याचिकाकर्ता, जिसे अनुकंपा के आधार पर शिक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया है, को वर्ग-III पदों पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उच्चतम न्यायालय ने **अशोक कुमार सोनकर विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य**[1] के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है : -

"34. यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ नियुक्ति अनियमित थी। यदि कोई नियुक्ति अनियमित है, तो उसे नियमित किया जा सकता है। न्यायालय, अधिनियम के उपबंधों के अर्थ के भीतर किसी अनियमितता पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे सकता है। लेकिन यदि कोई नियुक्ति अवैध है, तो यह विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन है, जो नियुक्ति को शून्य बना देती है।"

20. उच्चतम न्यायालय ने **ऑफिशियल लिक्विडेटर वि॰ दयानंद एवं अन्य**[2] के मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान तदर्थ, अस्थायी, दैनिक वेतन

[1] (2007) 4 SCC 54
[2]

भोगी, नैमित्तिक कर्मचारियों और संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामलों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति स्वयं ही अवैध है।

21. उपर्युक्त वर्णित कारणों से, याचिकाएं खारिज की जाती हैं। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

हस्ता./-

सतीश के॰ अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

-Translated By Shantam Awasthi

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur